प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 04.08.2025

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 286/25 धारा 65(1)/352/351(3)/333 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित बाल अपचारी को आज दिनाँक 04.08.2025 को कठिनईया पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 02.08.2025 को थाना महुली पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने, गाली व धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- वरि0उ0नि0 श्री रामकरन निषाद, हे0का0 शम्स तबरेज, का0 अरविन्द यादव ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 19 वाहनों से 17000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 19 वाहनों से 17000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 04.08.2025 को मा0 न्यायालय – **सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172/2019 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के मामलें में अभियुक्त अर्जुन साहनी पुत्र स्व0 शिवलाल साहनी सा0 कोनी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को जूर्म स्वीकृति के आधार पर धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध के लिये न्यायालय उठने तक का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का सादा कारावास भुगतना होगा।

प्रेस नोट
दिनाँक- 04.08.2025
जनपद-संतकबीरनगर

“जनपद संतकबीरनगर को आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में मिला प्रदेश में प्रथम स्थान”

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर को आईजीआरएस की माह जुलाई की रैंकिंग में जनपद संतकबीरनगर को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर महोदय द्वारा आईजीआरएस प्रभारी श्री अमित कुशवाहा व उनके अधीनस्थों को शाबाशी दी गयी।